28.06.2022

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश कमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/ नियुक्ति– हिन्दी/ पीएससी–15/2017 दिनांक 16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 16.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके कम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों(राम प्रताप रेगर) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 5478/2019 राम प्रताप रेगर व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5478/2019 राम प्रताप रेगर बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 में आदेशित किया है SBCW No. 3707/2019, Prahlad Sahai Jat decided on 23-05-2019 In view of the above, the present writ petition is also disposed of in the light of judgment in the case of Prahlad Sahai Jat (supra) with the same directions as quoted hereinbefore.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थीगण राम प्रताप रेगर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनांक	मैरिट नं0		वर्तमान पद (व्याख्याता–हिन्दी) मय पदस्थापन स्थान	जिला	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक	याचिका / अपील संख्या
			OLD	NEW					
1	Ram Pratap Regar	15-03-79		2587	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHADEVWALI	BIKANER	24-08-18	31-08-18	5478/2019

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 5478/2019 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 24.07.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक श्रीमती सुनीता मीणा (वरीयता कमांक–3163) जन्म तिथि–07.08.1986 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके कम में श्रीमती सुनीता मीणा द्वारा दिनांक 19.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियो को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

श्रीमती सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत दिनांक 19.06.2019 को नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक श्रीमती सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे। परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / संस्था / सी–7 / हिन्दी / नोशनल / या.स.–5478 / 2022 दिनांक– 28.06.2022

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंम्भिक / माध्यमिक) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंम्भिक / माध्यमिक) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा शिक्षा, राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) / कार्मिक(ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक– I / II)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / प्रधानाचार्य राउमावि / रामाउमावि / संबंधित आशार्थी
9. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन / वरिष्ठता / ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
10. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

सत्यमेव जयते